293

संख्याः–1746/XIV-1/2011–5(9)/2011

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, बागेश्वर,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 22, दिसम्बर, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष में जिला योजना महिला बचत समूहों को मार्जिन मनी (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः–7307/नियो0/जिला योजना (177)/2011–12 दिनांक 19 अक्टूबर, 2011, शासन के पत्र संख्याः–667/XIV-1/11–5(9)/2011 दिनांक 03 जून, 2011एवं वित्त विभाग के आदेश संख्या–209/XXVII –1/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं आदेश संख्या–584/XXVII–1/2001 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित जिला योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित **₹ 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र)** की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नाकिंत शर्तों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) धनराशि व्यय करने से पूर्व वर्तमान में लागू नियमों का पालन सुनिश्चित् किया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। योजना के अन्तर्गत केवल अनुश्रवण समितियों द्वारा चिन्हित समितियों को ही लाभ प्रदान किया जाय तथा लाभान्वित समितियों का विवरण शासन एवं समाज कल्याण विभाग को एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

(2) सभी कार्यक्रमों के वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण से पूर्व कर लिया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को शासन के वित्त व नियोजन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न

किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित् किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–30 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय –आयोजनागत–00–200– अन्य निवेश –03– महिला बचत समूहों को मार्जिन मनी–00–30– निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या–209/XXVII –1/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं आदेश संख्या–584/XXVII–1/2001 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्याः–1748 (1)/XIV–1/2011,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
5. जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड, बागेश्वर।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ट, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी मीडियां सेन्टर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव